भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
(REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY, BIHAR)
चौथा/छठा तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्यालय भवन, परिसर
शास्त्रीनगर, पटना–800023

कार्यालय आदेश सं० - 19 | पटना, दिनांक 05-04-2021

कार्यालय आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020 (वि०स०को०) 34/पटना दिनांक–03.04.2021 द्वारा निर्गत संयुक्तादेश के आलोक में बिहार राज्य में "कोविड संक्रमण" के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए निम्नांकित आदेश पारित किये जाते हैः–

1. रेरा कार्यालय चूँकि अब दो भवनों में कार्य कर रहा है, इसलिए स्थान की कमी नहीं है। अतएव सभी अधिकारी/कर्मचारी पर्याप्त दूरी बरकरार रखते हुए अपने बैठने का स्थान सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का भी प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइज करना आवश्यक होगा।
3. सभी कर्मचारियों के लिए लगातार मास्क धारण करने के साथ ही सभी सावधानियाँ बनाए रखना भी आवश्यक होगा।
4. केवल वैसे आगन्तुकों को, जिन्हें किसी सूचना के माध्यम से कोई कागजात कार्यालय में समर्पित करने का आदेश है, के कार्यालय में प्रवेश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उनका आवश्यक रूप से थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइज करने के बाद एक–एक कर कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ऐसे आगन्तुक आवश्यक रूप से मास्क पहने हुए हों, यह भी सुनिश्चित किया जाए।
5. सामान्य आगन्तुकों का कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
6. श्री शशि भूषण प्रसाद सिन्हा एवं श्री देव प्रकाश दोनो भवनों के कार्यालयों को, उपकरणों/उपस्करों सहित, प्रत्येक दिन दो बार आवश्यक सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करेंगे।
7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांक–RERA/Misc.O.Order-135/2020/130 | पटना/दिनांक–05-04-2021

प्रतिलिपि

1. सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
2. कार्यालय प्रशासक, रेरा बिहार, कार्यालय के दोनो भवनों के सूचना पट्ट पर इस आदेश की प्रति चस्पा कराने का कष्ट करें।
3. आई0 टी0 परामर्शी को रेरा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/4/21
सचिव